

राजस्थान आवासन मण्डल::जयपुर

क्रमांक:-प1(1) कार्मिक/निजी चिकि./2010/2698

दिनांक:- 20/10/10

कार्यालय आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा कुल देय बिल पर 50 प्रतिशत की छूट देय होगी :-

क्र.स.	चिकित्सालय का नाम एवं पता	दूरभाष/मोबाईल नम्बर
1.	फोर्टिज मोदी हॉस्पिटल, स्वामी विवेकानन्द नगर, राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोटा।	0744-2473501-05

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

Sd/-
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ. मंडल, जयपुर।
2. व0 निजी सहायक सचिव/वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी,राज. आवा. मंडल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताराज. आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... राज. आवासन मण्डल,
5. आवासीय अभियन्ता खण्ड-..... राज. आवासन मण्डल,
6. फोर्टिज मोदी हॉस्पिटल, स्वामी विवेकानन्द नगर, राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोटा।
दूरभाष नम्बर 0744-2473501-05
7. समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय)..... राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

Sd/-
सचिव